

## उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड


निम्नलिखित ई-निविदाएँ अधिकृत एवं अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों से, जो जी.एस.टी. में पंजीकृत हो, ई-टेंडर के माध्यम से आमन्त्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त ई-टेंडर की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) एवं विभाग की वेबसाइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर उपलब्ध रहेगा।

विवरण निम्न प्रकार हैं :- ई-निविदा संख्या कार्य/ आपूर्ति का विवरण, के कम पढा जाये :-

- 01 ई-निविदा संख्या टी- 101/वि.पा.म.(आ.)/2021-22- विद्युत पारेषण खण्ड-तृतीय आगरा के अन्तर्गत 120 के.वी. उपकेन्द्र बाह का वार्षिक अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य हेतु।
- 02 ई-निविदा संख्या टी- 102/वि.पा.म.(आ.)/2021-22- 400 के.वी. उपकेन्द्र आगरा पर स्टेटिक रिले के स्थान पर न्यूमेरिकल रिले की आपूर्ति एवं स्थापन सम्बन्धी कार्य हेतु।
- 03 ई-निविदा संख्या टी- 103/वि.पा.म.(आ.)/2021-22 - विद्युत 765 के.वी. उपकेन्द्र फतेहाबाद, आगरा पर स्विचयार्ड की साफ-सफाई सम्बन्धी कार्य हेतु।
- 04 ई-निविदा संख्या टी- 104/वि.पा.म.(आ.)/2021-22 - विद्युत पारेषण खण्ड-तृतीय आगरा के अन्तर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों पर 120 वॉट एल.ई.डी. लाइट की आपूर्ति हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा  
"राष्ट्र हित में बिजली बचायें"

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित किया जाना है निम्न नाम, पदनाम एवं मुहर को प्रकाशित नहीं किया जाना है।

  
( एल.पी.चक्रवेदी )  
अधीक्षण अभियन्ता  
अर्ध रक्षण अभियन्ता  
विद्युत पारेषण मण्डल  
आगरा

# उ० प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत पारेषण मण्डल  
निकट अमर उजाला प्रेस,  
बाई पास रोड  
आगरा-282007



दूरभाष : 0562-2604823(अधिकार)  
मो० न० : 9458096415  
E-Mail:- setagra@supptcl.org  
GSTIN No. 09AAACU8823E1Z9

पत्रांक 3232 विपाम(आ)/ई निविदा संख्या - टी-101 से टी-104 / 2021-22

दिनांक 28/12/2021

विषय - विज्ञापन आदेश पत्र

सेवा में

विज्ञापन व्यवस्थापक  
इन्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली  
अमर उजाला, आगरा

महोदय,

- कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6-8 प्वाइन्ट टाइप में) समाचार पत्र के केवल एक कॉलम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग व नीचे का नाम व पता क्यासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मीटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिफ्ट लगाने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन क्यासम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, आगरा को जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में एवं हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये। जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये। अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरे स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें। जो संस्करण निगम द्वारा मान्यता प्राप्त न हो सकें उसका प्रकाशन न करें।
- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे 'राष्ट्र हित में बिजली बचाओ' नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या एवं दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एल.पी.चक्रवेदी)

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत पारेषण मण्डल  
आगरा

पत्रांक - 3232 विपाम(आ) / दिनांक - 28/12/2021

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- मुख्य अभियन्ता (पारे०द०प०), उ०प्र०पा०का०लि०, आगरा।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा) (पा०द०प०), उ०प्र०पा०का०लि०, आगरा।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय आगरा।
- नोटिस बोर्ड

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(एल.पी.चक्रवेदी)

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत पारेषण मण्डल  
आगरा